न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 101/2021

1 प्रियंका पुत्री रतीराम उम्र 20 वर्ष जाति मेघवंशी निवासिनी टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासिनी रहनावा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
2 नरेन्द्र पुत्र रतीराम उम्र 18 वर्ष जाति मेघवंशी निवासी टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू हाल निवासी रहनावा तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।
3 विरेन्द्र उम्र 16 वर्ष पुत्र रतीराम
4 कपिल उम्र 14 वर्ष पुत्र रतीराम
जति मेघवंशी निवासीगण टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ नाबालिगान जरिये संरक्षक माता स्वयं श्रीमती विनोद देवी उम्र 38 वर्ष पत्नी रतीराम जाति मेघवंशी निवासिनी टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.) हाल निवासी स्थान रहनावा (पीहर) तहसील लक्षमणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रतीराम उम्र 50 वर्ष पुत्र भानाराम उर्फ मानाराम जाति मेघवंशी निवासी टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 तहसीलदार कम उप पंजीयक तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 02.08.2021 न्यायालय
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.) मु.नं. 193/2010 दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड
दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 136 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी प्रियंका आदि
बनाम रतीराम आदि

उपस्थिति :

1. श्री राजेश श्योराण, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 193/2010 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलांट ने दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 815, 818 वाके ग्राम टोंक छिलरी तहसील नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादीगण, प्रतिवादी नम्बर 01 रतीराम के जायन्दा पुत्री एवं पुत्रान है, जो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नाबालिग है, जो अपने कानूनी हक की रक्षा हेतु अपनी माता श्रीमती विनोद देवी के मार्फत दावा पेश कर रहे है। वादीगण के पिता रतीराम ने वादीगण की माता जो कि प्रतिवादी रतीराम की पत्नी है, को घर से निकाल रखा है तथा वादीगण के कानूनी हक की कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से तथा बिना आवश्यकता के नाजायज तौर तरीके अपनाकर पैत्रिक कृषि भूमि को बेचने को तुरन्त आमादा है। जमीन खसरा नम्बर 815 रकबा 2.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.26 हैक्टेयर वाके ग्राम टौंक छिलरी की सरहद में स्थित है, जो वादीगण की पैत्रिक जमीन है जिसमें वादीगण का हक हकूक, कब्जा काश्त कानूनन तथ्यात्मक रूप से है। जमीन खसरा नम्बर 815, 818 ग्राम टौक छिलरी वादीगण के दादा भानाराम उर्फ मानाराम पुत्र चन्दाराम के हक हकूक की रही है, जो वादीगण की पैत्रिक जमीन है, जिसमें वादीगण का जन्म लेते ही कानूनन हक हकूक बन जाता है इस तरह वादीगण उक्त खसरा नम्बर 815, 818 ग्राम टौंक छिलरी के खातेदार काश्तकार है, जिनका इस जमीन में कानूनन व तथ्यात्मक रूप से हक हकूक है तथा अपने पिता प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ खातेदार काश्त का है जिसके बाबत अपने खातेदार होने की घोषणा करवाने के हकदार है तथा अपने पिता प्रतिवादी नम्बर 01 के साथ राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के हकदार है। प्रतिवादी नम्बर 01 वादीगण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारीयों को नहीं निभाता है तथा बिना किसी आवश्यकता के उक्त पैत्रिक जमीन को खुर्द–बुर्द करने को आमदा है तथा इस जमीन को बेचने की फिराक में है तथा तब उक्त जमीन के बाबत रजिस्ट्री करवाना चाहता है तथा आज ही रजिस्ट्री करवाने आया हुआ है, जबकि प्रतिवादी 01 को उक्त पैतृक जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं है तथा जमीन बेचने का प्रतिवादी नम्बर 01 को कोई अधिकार भी नहीं है क्योंकि जमीन पैत्रिक है, जमीन में वादीगण का हक हकूक है, जमीन के वादीगण खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में वादी के अधिवक्ता ने उनको

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय की जानकारी नहीं दी। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है वादीगण ने वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 815 रकबा 2.69 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 818 रकबा 1.57 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 4.26 हैक्टेयर ग्राम टोंक छिलरी में स्थित भूमि को वादीगण के पैतृक भूमि बताया है साथ ही यह भी जाहिर किया गया है कि उक्त भूमि में वादी के दादा भानाराम उर्फ मालाराम पुत्र चन्द्राराम की खातेदारी काश्त की भूमि रही है जिसमें वादीगण का जन्म से ही कानून हक हकूक बनता है। वादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में वाद पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड की नकल जमाबंदी सम्वत् 2055 से 2058 प्रदर्श–1 एवं नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 पेश किये है। शेष दस्तावेज पासबुक की फोटो कॉपी प्रस्तुत की है। उक्त तमाम दस्तावेजात में खातेदार के कॉलम संख्या 4 में रतीराम पुत्र मालाराम जाति मेघवंशी अंकित है। वादीगण के कथनानुसार उक्त भूमि वादीगण के दादा भानाराम उर्फ मालाराम होना जाहिर नहीं होता है। लिहाजा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को वादीगण दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पैतृक प्रमाणित करने में पूर्णतया असफल रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(मुख्यालय, झुन्झनूं)